भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4095

दिनांक 19 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

गांवों का विद्युतीकरण

4095. श्री जिया उर रहमानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सभी गांवों और घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने की कोई योजना है जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के तहत सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई तथा वर्तमान में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता कर रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिन्हित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी परिवारों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड बिजली कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, पीएम-जनमन के तहत चिन्हित पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित आदिवासी घरों सहित 9,49,548 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,281 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत सभी घरेलू विद्युतीकरण कार्य स्कीम के समाप्त होने तक अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूरे होने की संभावना है। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत, ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 9,863 घरों के लिए 49 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

****